

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

क्रमांक प.2(6970)/डीओआईटी/संस्था/16/ 03071/2018

जयपुर, दिनांक 30/08/2018

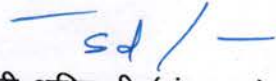
कार्यालय आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के सूचना सहायक के पद पर कार्यरत श्री राजेश कुमार गोठवाल, जिन्होंने दिनांक 01.01.2016 के पश्चात अपने पद पर दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि निरन्तर संतोषजनक पूर्ण कर ली है। वित्त (नियम अनुभाग) के नोटिफिकेशन प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में श्री राजेश कुमार गोठवाल, सूचना सहायक का कॉलम सं. 7 में उल्लेखित दिनांक से पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार सूचना सहायक पद की नियमित वेतन श्रेखला पी.बी 1 (5200-20200) की ग्रेड पे-2800 (ग्रेड पे सं.-10) का शिड्यूल-1(Part-B) की Pay Matrix के अन्तर्गत L-8 लेवल का न्यूनतम (First cell) की राशि रुपये 26300/- एवं नियमानुसार भत्ते आहरित/वितरित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति के आदेश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं:-

क्र.स.	मेरिट नं.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन विभाग	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	परिवीक्षाधीन अवधि (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक	निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण किये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	W-2139	श्री राजेश कुमार गोठवाल	कार्यालय मदरसा बोर्ड, जयपुर	01-06-2016	31-05-2018	01-06-2018

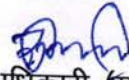
उक्त सूचना सहायक का वेतन आहरण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के तहत किया जावेगा एवं स्थाईकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज नियमानुसार उक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित किया जावे। पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 13 के अनुसार उक्त सूचना सहायक की आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक 01.07.2018 होगी।

आज्ञा से,


प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)
एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित कर्मचारी।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)
एवं कार्यालयाध्यक्ष

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक प.2(7306)/डीओआईटी/संस्था/17/03000/2018 जयपुर, दिनांक 29/08/18

कार्यालय आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के सूचना सहायक के पद पर कार्यरत श्री बृजमोहन यादव, सूचना सहायक जिन्होंने दिनांक 01.01.2016 के पश्चात अपने पद पर दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि निरन्तर संतोषजनक पूर्ण कर ली है। वित्त (नियम अनुभाग) के नोटिफिकेशन प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में श्री बृजमोहन यादव, सूचना सहायक का कॉलम सं. 7 में उल्लेखित दिनांक से पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार सूचना सहायक पद की नियमित वेतन श्रेखला पी.बी 1 (5200-20200) की ग्रेड पे-2800 (ग्रेड पे सं.-10) का शिड्यूल-1 (Part-B) की Pay Matrix के अन्तर्गत L-8 लेविल का न्यूनतम (First cell) की राशि रुपये 26300/- एवं नियमानुसार भत्ते आहरित/वितरित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति के आदेश जारी किये जाते हैं:-

क्र. स.	मेरिट न.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन विभाग	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	परिवीक्षाधीन अवधि (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक	निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण किये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	W-725	श्री बृजमोहन यादव	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति विराटनगर, जयपुर।	29-07-2016	28-07-2018	29-07-2018

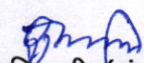
श्री बृजमोहन यादव, सूचना सहायक का वेतन आहरण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के तहत किया जावेगा एवं स्थाईकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज नियमानुसार उक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित किया जावे। पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 13 के अनुसार उक्त सूचना सहायक की आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक 01.07.2019 होगी।

Sd/-
(सुनील भाटी)

प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. एसीपी (उपनिदेशक), कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर।
2. श्री बृजमोहन यादव, सूचना सहायक कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति विराटनगर, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)